संख्या-34/2015/1227/नौ-5-2015-351बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
टुण्डला-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-549/न0पा0प0टुण्डला/2014-15 दिनांक 09.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पालिका परिषद, टुण्डला जनपद फिरोजाबाद को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **₹ 631.91**लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि **₹ 315.96 (₹ तीन करोड़ पन्द्रह लाख छिहत्यानवे हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्रम सं0	निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	**नगर पालिका परिषद, टुण्डला-फिरोजाबाद**	1. एन0एच0 2 सर्विस रोड से क्राइस्ट-द-किंग स्कूल होते हुए देवेन्द्र सिंह के खेत तक क्षतिग्रस्त सड़क का हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण	67.70	
		2. दुर्गा मन्दिर व चन्दन सिंह के खेत से कालीचरन यादव के मकान होते हुए शंकर बिहार गेट नं0 तक क्षतिग्रस्त सड़क का हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण	68.08	
		3. तेलमिल रोड पर घोशिया स्थित ट्रांसफार्मर से सरस्वती शिशु स्कूल होते हुए शारदा रमन स्कूल तिराहे तक सड़क का हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण	47.18	
		4. बसई रोड पर संगम मैरिज होम से नगर पालिका ट्यूबवेल तक सड़क पर हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण	49.75	
		5. वार्ड नं.8 एट रोड पर बेबी ठाकुर के मकान से रवीन्द्र कुमार के मकान एवं लिंक गलियों में इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	26.66	
		6. स्टेशन रोड भर्रा नाला पुलिया से अजय कुमार दुबे के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	88.75	
		7. एम0पी0 रोड पर लच्छो लाला से वीरेन्द्र कुमार के मकान होते हुए हीरो के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य	42.20	
		8. तेलमिल रोड पर स्टेशन रोड से भूपेन्द्र सिंह राना के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	41.55	

क्रम सं0	निकाय/ जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		9. हीरो हाण्डा एजेन्सी से एल0आई0सी0 आफिस तक साइड पटरी सुधार कार्य	76.44	
		10. जैन फर्नीचर हाउस से चन्द्र वाटिका कालोनी के समीप तक साइड पटरी सुधार कार्य	80.44	
		11. वार्ड नं. 25 में एन0एच0 2 सर्विस रोड पर पाठक मैडीकल से प्रमोद कुमार एवं हरी सिंह से सौदान सिंह तक इंटरलाकिंग सड़क	20.44	
		12. वार्ड नं. 7 तहसील के पीछे डी0के0 उपाध्याय से हरवेन्द्र के मकान एवं लिंक गलियों में तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	22.74	
		योग	631.91	315.96

(₹ तीन करोड़ पन्द्रह लाख छिहत्यानवे हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय सामान्य-09-सड़क सुधार हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

C/C

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2015/1227(1)/नौ-5-2015-351बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टुण्डला जनपद फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

C/C

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-27/02/2015

प्रेषण संख्या:- 34-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-34-2015-1227-9-5-2015-351Bud-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

800 - अन्य व्यय

09 - सड़क सुधार हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	31596000 31596000	31596000 31596000
	योग	वर्तमान प्रगामी	31596000 31596000	31596000 31596000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव